निदेशालय

महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग, उत्तराखण्ड

राज्य परियोजना प्रबंधन इकाई

(उत्तराखण्ड महिला एवं बाल विकास समिति)

निकट नन्दा की चौकी, सुद्धौवाला, प्रेमनगर, देहरादून

उत्तराखण्ड सरकार

पत्रांक संख्या 33/181/UWCDS/2020-21 दिनांकः 12 मई 2021

विज्ञप्ति

उत्तराखण्ड महिला समेकित विकास योजना

महिला सशक्तिकरण की दिशा में सरकार की एक महत्वकांक्षी पहल

उत्तराखण्ड राज्य में महिलाओं की विशिष्ट आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु प्रयोगशाला के रूप में उत्तराखण्ड सरकार द्वारा महिलाओं के समग्र सशक्तिकरण हेतु उत्तराखण्ड महिला समेकित विकास योजना की अवधारणा की गयी, जिसमें महिलाओं की शक्ति का सदुपयोग करते हुए महिलाओं के सर्वांगीण विकास हेतु लाभकारी परियोजनाओं को प्रोत्साहित किया जाता है। विशेषकर महिलाओं के कार्यबोझ में कमी लाते हुए उनके स्वास्थ्य में सुधार एवं लाभप्रद स्वरोजगार प्रदान करने सम्बन्धी लक्ष्यों को दृष्टिगत् रखते हुए महिलाओं को सामाजिक एवं आर्थिक सशक्तता प्रदान करने की दृष्टि से लाभकारी, उपयुक्त एवं अभिनव परियोजना प्रस्ताव आमंत्रित किये जाते हैं।

अर्हता–

1. सरकारी संस्थान/एजेन्सी, प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान एवं प्रतिष्ठित गैर सरकारी स्वयं सेवी संस्थाएँ जो महिला विकास क्षेत्र में न्यूनतम 05 वर्ष का अनुभव रखती हों, द्वारा अपने प्रस्ताव प्राप्त कराये जा सकते हैं।
2. गैर सरकारी संस्थान/स्वयं सेवी संस्थाएँ/प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान राज्य में ही कम से कम 03 वर्ष पूर्व सोसायटी रजिस्ट्रेशन एक्ट/कम्पनी एक्ट/भारतीय ट्रस्ट एक्ट में पंजीकृत होनी अनिवार्य है तथा संस्था का विगत् 03 वर्ष का आडिट वार्षिक व्यय सी0ए0 द्वारा प्रमाणित होना चाहिए।
3. पहाडी जनपदों में रजिस्टर्ड/कार्यरत संस्था/एजेन्सी का विगत 03 वर्षो का औसतन आय–व्यय न्यूनतम 15.00 लाख प्रतिवर्ष का एवं मैदानी जनपदों में रजिस्टर्ड/कार्यरत संस्था/एजेन्सी का विगत 03 वर्षो का औसतन आय–व्यय न्यूनतम 25.00 लाख प्रतिवर्ष का होना अनिवार्य है।
4. संस्था/एजेन्सी किसी भी सरकारी विभाग/संस्थान से काली सूची में दर्ज न हों। इस आशय का शपथ पत्र देना होगा।
5. उक्त के अतिरिक्त महिला स्वयं सहायता समूह, जिनके गठन को 03 वर्ष पूर्ण हो चुके हों व एन0आर0एल0एम0 या एन0यू0एल0एम0 के तहत् पंजीकृत हों एवं जिनके विगत 03 वर्षो की औसत आय व्यय रू0 1.00 लाख की हो या वर्तमान की तिथि तक बचत न्यूनतम रू0 1.00 लाख हो, को भी आवेदन हेतु आमंत्रित किया जाता है।

इच्छुक संस्था/एजेन्सी/महिला स्वयं सहायता समूह अपना पूर्ण प्रस्ताव निदेशालय के उपरोक्त पते पर दिनांक 06 जून 2021 सायं 5.00 बजे तक जमा कर सकते हैं। परियोजना प्रस्ताव को तैयार करने हेतु दिशा निर्देशिका व बजट शीट को विभाग की वैबसाइट www.wecd.uk.gov.in से डाउनलोड किया जा सकता है। परियोजना प्रस्ताव सम्बन्धित जनपद के जिला कार्यक्रम अधिकारी के माध्यम से मुख्य विकास अधिकारी की संस्तुति सहित प्रेषित करना अनिवार्य है। उक्त के संबन्ध में योजना के अंतर्गत प्रस्ताव चयन/निरस्तीकरण से सम्बन्धित समस्त अधिकार निदेशक/उपाध्यक्ष, उत्तराखण्ड महिला एवं बाल विकास समिति के पास नियत रहेंगे। किसी भी अपूर्ण प्रस्ताव पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।

निदेशक/उपाध्यक्ष

उत्तराखण्ड महिला एवं बाल विकास समिति,

महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग